कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांकः शिविरा/माध्य/माध्य–द/22492/प्रवेशोत्सव/2019–20/ दिनांक : 07-08-19

1. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
2. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा।
4. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– जिले के प्रत्येक ब्लॉक में आयोजित की जाने वाली वाक्पीठ के एजेन्डे में उजियारी पंचायत को सम्मलित करने के क्रम में।

प्रसंग :– राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर का पत्रांकः रास्कूलशिप/जय/वै.शि./2019–20/4138, दिनांक 2.07.2019

उपर्युक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि प्रदेश में दिनांक 24 जून से 15 अगस्त, 2019 तक प्रवेशोत्सव के द्वितीय चरण में हाऊस होल्ड सर्वे कर अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों से जोड़ते हुए शत–प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। इसी के अन्तर्गत समस्त अनामांकित व ड्रॉप आउट बच्चों को विद्यालयों से जोड़ने वाली पंचायत को "ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत" घोषित किया जाना है । अतः दिनांक 21.08.2019 तक निर्धारित प्रपत्र में उजियारी पंचायत हेतु सीबीईओ कार्यालय में आवेदन किया जाना है। उजियारी पंचायत योजना–2019 से सम्बन्धित तिथियों की जानकारी आपको पूर्व में दी जा चुकी हैं। उजियारी पंचायत कार्यक्रम की सफलता हेतु आवश्यक है कि कार्यक्रम की अधिक से अधिक जानकारी पीईईओ एवं ग्राम पंचायत स्तर पर पहुंचे।

अतः आप समस्त ब्लॉक में आयोजित की जा रही वाक्पीठ के एजेंडे में उजियारी पंचायत के विषय को आवश्यक रूप से सम्मिलित करते हुए उजियारी पंचायत कार्यक्रम–2019 की सम्पूर्ण जानकारी से समस्त पीईईओ को अवगत कराते हुए अधिक से अधिक संख्या में सीबीईओ कार्यालय में आवेदन करने हेतु प्रेरित करें।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, एवं पंचायती राज (प्रा.शि.) राजस्थान, बीकानेर।
6. निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त जिला कलक्टर।
8. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
9. विकास अधिकारी, समस्त पंचायत समिति।
10. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समस्त ब्लॉक।
11. उप निदेशक (सांख्यिकी), कार्यालय हाजा ।
12. उप निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, जयपुर/सहायक निदेशक, शाला दर्पण प्रकोष्ठ, कार्यालय हाजा।
13. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड एवं समस्त राजकीय विद्यालयों के ई–मेल पते पर प्रेषित करने हेतु।
14. वरिष्ठ सम्पादक 'शिविरा', प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
15. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
16. समस्त पदेन पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी/संस्था प्रधान, समस्त राजकीय विद्यालय।
17. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय–निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक: शिविरा/मा/माध्य/मा–द/अंग्रेजी माध्यम/प्रवेश/2019–20 दिनांक: 07.08.19

समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी
एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक
समग्र शिक्षा अभियान।

विषय :– राज्य के 167 ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के राजकीय विद्यालय स्थापित किए जाने हेतु उपयुक्त विद्यालय का चयन करने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में राज्य के प्रत्येक जिला मुख्यालय पर अंग्रेजी माध्यम के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय इस कार्यालय के समसंख्यक निर्देश पत्र दिनांक 16.06.2019 द्वारा स्थापित किए जा चुके हैं। शासकीय निर्देशो के क्रम में उक्त योजना के आगामी चरण में राज्य के 167 ब्लॉक मुख्यालयों पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय (अंग्रेजी माध्यम) स्थापित किए जाने हैं। उक्त क्रम में आपके जिला क्षेत्राधिकार में अग्रांकित निर्देशानुरूप उपयुक्त विद्यालय का चयन किए जाने की कार्यवाही प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें :–

1. वर्तमान में राज्य के कुल 301 ब्लॉक में से 134 ब्लॉक में स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल संचालित हैं, शेष 167 ब्लॉक में अंग्रेजी माध्यम के राजकीय महात्मा गांधी विद्यालय स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं। उक्तानुरूप आप अपने जिला क्षेत्राधिकार में उन ब्लॉक को तत्काल चिन्हित करें, जिन ब्लॉक में कोई भी स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल संचालित नहीं है।
2. उपर्युक्तानुसार चयनित समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर आगामी सत्र से अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय स्थापित किया जाना है। उक्त क्रम में चयनित समस्त ब्लॉक में ब्लॉक मुख्यालय पर कक्षा 1 से 12 / 1 से 10 तक संचालित विद्यालयों में से एक विद्यालय, जिसका स्वयं का पर्याप्त भूमि–भवन हो तथा जो उपयुक्त भौतिक अवसंरचनायुक्त (यथा पर्याप्त अतिरिक्त कक्षा–कक्ष एवं अन्य आवश्यक मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हो) हो, का चयन कर इस कार्यालय को सूचित करावें।
3. चूंकि अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय की स्थापना हेतु उक्त चयनित विद्यालय को रूपान्तरित कर की जानी है, अतः पूर्व में हिन्दी माध्यम में संचालित उक्त विद्यालय के समस्त हिन्दी माध्यम में अध्ययनरत विद्यार्थियों को समीपवर्ती विद्यालयों में प्रवेश दिलवाया जायेगा। उक्तानुरूप अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय में रूपान्तरण हेतु उपयुक्त विद्यालय का चयन पारस्परिक विमर्श एवं चिन्तन पश्चात् किया जाना सुनिश्चित करें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
3. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) – माध्यमिक।
4. सिस्टम एनालिस्ट, कार्यालय हाजा को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने हेतु।
5. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

D:\ma - D\General letter\General latter.doc112